क्रमांक : न.नि.प्रा. / आरओआई / संपर्क / सिक्यूरिटी / 01 /   दिनांक :

प्रति,
मेसर्स के.बी.एस. सिक्यूरिटी एजेन्सी,
के.बी.एस. हाउस,
एच.आई.जी.– बी–187, सी रामेष्वरम् कॉलोनी,
बागमुगलिया, भोपाल

विषयः कार्यादेष : नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के इन्दौर, भोपाल, होषंगाबाद एवं मण्डला कार्यालयों में सुरक्षा गार्डों एवं अन्य कर्मियों की सेवाएं उपलबध कराने के संबंध में ।

संदर्भः
1. इस कार्यालय का निविदा आमंत्रण सूचना क्र एनआईटी / आरओआई / सिक्यूरिटी / 2007 / टी–1 / 265– 74 दिनांक 26.03.2007
2. आपका निविदा दिनांक 18.04.2007
3. इस कार्यालय का अभिप्राय पत्र एनसीए / आरओआई / संपर्क / 01 / 42–43 दिनांक 22.06.07
4. आपका सहमति पत्र दिनांक 26.06.2007

महोदय,

इस कार्यालय द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के इन्दौर, भोपाल, होषंगाबाद एवं मण्डला स्थित कार्यालयों में सुरक्षा गार्डों एवं अन्य कर्मियों जैसे वाहन चालक, विद्युत कर्मी, मेसन, प्लम्बर, मददगार, माली वगैरह की सेवाएं 1 वर्ष के लिए उपलब्ध करवाने के लिए एतद द्वारा कार्यादेष दिया जाता है। यह कार्यादेष आपके कार्य प्रारंभ की तिथि के एक वर्ष के लिए कुल वार्षिक राषि रू. 25,46,514 / – (रू. पच्चीस लाख छियालीस हजार पॉच सौ चौदह मात्र) के लिए है। निविदा में आपके द्वारा दी गई विभिन्न वर्ग के कर्मियों के दरों में न्यूनतम वेतन दर, कर्मचारी भविष्य निधि का अंषदान, राज्य कर्म. बीमा निगम अंषदान, सर्विस टैक्स एवं आयकर तथा भविष्य में यथा प्रभावषील संषोधित न्यूनतम वेतन दर सम्मिलित है तथा यह प्रभावषील दर आपके द्वारा कार्य प्रारंभ करने के दिन से एक वर्ष तक किसी भी स्थिति में संषोधित नहीं की जाएगी । वाहन चालक के कार्योपरि पारिश्रमिक, (यदि देय हुआ तो) के अलावा अलग से किसी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मियों विषेषकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तत्काल 1800 बजे दिनांक 28.06.07 से करनी है। उनकी तैनाती का विवरण संलग्न है ।

निविदा प्रपत्र के पैरा 27.0 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शतों का भी अनुपालन करना होगा ।

अविरत–2...

प्रत्येक कर्मियों के व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते क्रमांक का विवरण भविष्य निधि विभाग से सत्यापित करवाकर सम्बद्ध कर्मियों के तैनाती के 45 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक कर्मी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करवाये जाने वाली राषि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारी भविष्य निधि जमा कराने की यह प्रक्रिया आपको अपने कर्मचारियों के प्रति किसी भी दायित्व एवं उत्तरदायित्व (जिसमें भविष्य निधि नियमितिकरण कर्मचारियों के द्वारा आहरण भी सम्मिलित है), से किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं करेगी तथा ऐसे प्रकरणों में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भी दायित्व नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि विभाग इन्दौर / भोपाल से हर कर्मचारी का अलग–अलग चालान लेकर निर्धारित समयावधि में जमा करवाना होगा। जहां राज्य कर्मचारी बीमा निगम की सुविधाएं नहीं होगी (जैसे होषंगाबाद, मंडला) वहां ग्रुप इन्ष्योरेंस / मेडीक्लेम या इसी प्रकार अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाना होगा। ग्रुप इन्ष्योरेंस पॉलिसी की एक प्रति कर्मियों के तैनाती के 21 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारियों के ई.एस.आई. कार्ड तैनाती के 30 दिनों के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

2. सुरक्षा गार्डों एवं अन्य कर्मियों की तैनाती संलग्न विवरण के अनुसार किया जाना चाहिये। विवरण में दिये गये कर्मियों से अधिक की तैनाती सक्षम अधिकारी के लिखित निर्देष दिये जाने के उपरांत ही किया जाना चाहिये ।

3. तैनात किये जाने वाले कर्मियों की सूची, उनका बायोडाटा इत्यादि सम्बद्ध कर्मियों की तैनाती के 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर कार्यालय में जमा करवाना होगा।

4. तैनात किए गए कर्मियों के पुलिस सत्यापन हेतु प्रत्येक कर्मचारी का विवरण संबंधित पुलिस थाना में एक माह के अंदर जमा करके पुलिस प्रतिवेदन यथाषीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

5. कर्मियों की तैनाती साधारणतया 8 घण्टे की षिफ्ट के लिये होगी, लेकिन कुछ सुरक्षा कर्मियों या अन्य कर्मियों की तैनाती 4 घण्टे के षिफ्ट के लिये भी किया जा सकता है तथा कर्मियों की संख्या में घटोतरी या बढोतरी किसी भी समय हो सकती है जिसकी पुष्टि लिखित रूप से दी जावेगी।

6. भुगतान कर्मियों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा।

अविरत–3...

7. कर्मियों की तैनाती ;क्मचसवलउमदजद्ध या अनुबंध संबंधी किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार और अनुपालना करवाने के लिये कार्यपालन यंत्री (भवन), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, भवन खण्ड प्राधिकृत अधिकारी होंगें ।

8. निविदा प्रपत्र में दी गई समस्त निर्बन्धों एवं उपबन्धों तथा समय समय पर जारी किए गए वैधानिक नियमों व कानूनों व उनमें किए गए संषोधनों का आपके द्वारा अनुपालन किया जाना होगा अभिष्ट होगा तथा आपके किसी भी दायित्वों एवं नियम अवहेलना के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा ।

9. आपके द्वारा न.नि.प्रा., इन्दौर के पक्ष में टेंडर के साथ पूर्व में रहन किया गया डिमांड ड्राफ्ट क्र.260524 दि.17.04.2007 रू.83,000 / – पंजाब नेषनल बैंक, भोपाल एवं क्रमांक 043732 दि.27.06.2007 जो कि रू.1,71,700 / – की अतिरिक्त राषि के लिये पंजाब नेषनल बैंक, इन्दौर के द्वारा जारी किया गया है, उसे सुरक्षा निधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

10. यह पत्र अनुबंध का भाग माना जाएगा ।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(चन्द्रषेखर श्रीवास्तव)
मुख्य अभियंता

प्रतिलिपि : जानकारी हेतु अग्रेषित ।

1. कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
2. सदस्य (सिविल) / सदस्य (विधुत), न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
3. सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर ।
4. निदेषक (वित्त), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
5. निदेषक (सिविल) / निदेषक (दूरमिति), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर।
6. अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा प्रबंध केन्द्र, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर
7. अधीक्षण अभियंता, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ।
8. उप–निदेषक (संपर्क), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।

अविरत–4....

9. सहायक निदेषक (सिविल), मुख्य नियंत्रण केन्द्र, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इन्दौर। पिछली सिक्युरिटी एजेन्सी से संबंधित समस्त भुगतानों का सत्यापन / निराकरण आपके द्वारा किया जाएगा। वर्तमान सिक्युरिटी से संबंधित सभी फाइल कार्यपालन यंत्री (भवन) को स्थानांतरित कर दें।
10. सहायक अभियंता (दूरमिति), जल मौसम विज्ञान उप–संभाग, इन्दौर को जानकारी एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। सक्षम अधिकारी के निर्देषानुसार वर्तमान सिक्यूरिटी से संबंधित सभी कार्य ;च्तवबमेपदह व ि ठपससेए क्मचसवलउमदज इत्यादिद्ध आपके द्वारा कार्यपालन यंत्री (भवन) के निर्देषन में संपादित किये जायेंगे।
11. सहायक अभियंता, जल मौसम विज्ञान उप–संभाग, मण्डला / होषंगाबाद।
12. कार्यपालन यंत्री (भवन), भवन खण्ड, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर।

मुख्य अभियंता